न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 27 / 2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024 / 39

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री संदीप पुत्र श्री राजमल निवासी 385 बी. गली नं. 05 रातीतलाई बांसवाडा (विक्रेता / मालिक) मैसर्स–**Charitra Kumar & Brothers,** प्रताप सर्कल, त. व जिला बांसवाडा (राज) फोन नं. 9413048922
2. श्री शैलेश जैन पुत्र श्री शांति लाल जैन (विक्रेता / मालिक) मैसर्स– **Chetak sales Corporation,107, commericial Area, Banswara Mob.No** 9413945972
3. श्री गुरप्रीत सिंह जुनेजा पुत्र श्री करतार सिंह (विक्रेता / मालिक) मैसर्स– **Juneja Agencies, 4/627, Jawahar Nagar Behind Matrix mall, SBI Bank Jaipur 302004 Mob.no. 7891662343**
4. श्री संजय दत्ताराम परब (नोमिनी) **M/S Pitambari Product Pvt.Ltd. (Jaipur Warehouse) Shop No-01-02, E-13-14, Kalwada, Industrial Area RICO, Chomu Jaipur-303801**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.25 10:56:02 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 24–09–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं [illegible] डा (राज.) के द्वारा [illegible] **22–02–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया ग[illegible] कि दिनांक **16–02–2023** [illegible] दौरान निरीक्षण 12.45 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

हेतु **मैसर्स– Charitra Kumar & Brothers, प्रताप सर्कल, त. व जिला बांसवाडा** पर पहुंचा तो वहाँ पर **श्री संदीप पुत्र श्री राजमल** मिले, उन्होने बताया कि वह मालिक है। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स– Charitra Kumar & Brothers, प्रताप सर्कल, त. व जिला बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ **Sesame Oil (Sapta Shakti Pitambari) की 7 बोतल 500 एम.एल की रखी हुई थी। Sesame Oil (Sapta Shakti Pitambari)** जिसमे गुणवत्ता की कमी एवं मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **Sesame Oil (Sapta Shakti Pitambari) की 4 बोतल प्रत्येक 500 एम.एल कुल 2 लीटर** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत **680/–** **रु**. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Sesame Oil (Sapta Shakti Pitambari) की 4 बोतल प्रत्येक 500 एम.एल के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1306** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति मय आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.25 10:56:02 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/179 दिनांक 03–03–2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 173 दिनांक 28–02–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Sesame Oil (Sapta Shakti Pitambari)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1306** Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards act 2006 पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता/मालिक को दी गई, नमूने की पुनः जाँच हेतु अपील नही की है।

फर्म के मालिक **श्री संदीप पुत्र श्री राजमल निवासी 385 बी. गली नं. 05 रातीतलाई बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स–Charitra Kumar & Brothers, प्रताप सर्कल, त. व जिला बांसवाडा (राज)** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **Sesame Oil (Sapta Shakti Pitambari)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने **Sesame Oil (Sapta Shakti Pitambari)** का अग्रिम माल खरीद बिल **मैसर्स– Chetak sales Corporation,107, commericial Area, Banswara** का बिल प्रस्तुत किया। **मैसर्स– Chetak sales Corporation,107, commericial Area, Banswara** से यह पत्र व्यवहार करने पर **Juneja Agencies, Jaipur** का बिल प्रस्तुत किया। **मैसर्स– Juneja Agencies, Jaipur** से यह पत्र व्यवहार करने पर **M/S Pitambari Product Pvt.Ltd. (Jaipur Warehouse) Shop No-01-02, E-13-14, Kalwada, Industrial Area RICO, Chomu Jaipur** का बिल प्रस्तुत किया। विक्रेता द्वारा **Sesame Oil (Sapta Shakti Pitambari)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 27–02–2024 को दर्ज रजिस्टर कर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.25 10:56:02 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 26–03–2024 को अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री निखिल मालोत अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 06.05.2024 को अप्रार्थी सं. 1 से 4 की ओर से श्री जयपाल सिंह डाबी अधिवक्ता व श्री विवेक रावत अधिवक्ता ने अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया।

न्याय निर्णयक अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक 22.09.2024 को अप्रार्थी सं. 1 से 4 के अधिवक्ता श्री जयपाल सिंह डाबी ने अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार कर प्रकरण को समाप्त करना चाहते है। विपक्षीगण की भावना को दृष्टिगत रखते हुए जुर्माने में रियायत बरतने निवेदन किया।

आरोपीगणो की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस. ए/2023/179 दिनांक 03–03–2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 173 दिनांक 28–02–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Sesame Oil (Sapta Shakti Pitambari)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1306** Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत मिसब्राण्डेड पाया गया **Sesame Oil (Sapta Shakti Pitambari)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री संदीप पुत्र श्री राजमल निवासी 385 बी. गली नं. 05 रातीतलाई बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स–Charitra Kumar & Brothers, प्रताप सर्कल, त. व जिला बांसवाडा (राज) को रूपये 1500/– (अक्षरे एक हजार पांच रुपया मात्र), श्री शैलेश जैन पुत्र श्री शांति लाल जैन (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– Chetak sales Corporation,107, commericial Area, Banswara को रूपये 1500/– (अक्षरे एक हजार पांच रुपया मात्र), श्री गुरप्रीत सिंह जुनेजा पुत्र श्री करतार सिंह (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– Juneja Agencies, 4/627, Jawahar Nagar Behind Matrix mall, SBI Bank Jaipur को रूपये 2,000/– (अक्षरे दो हजार रुपया मात्र), श्री संजय दत्ताराम परब (नोमिनी) M/S Pitambari Product Pvt.Ltd. (Jaipur Warehouse) Shop No-01-02, E-13-**

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.25 10:56:02 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

14, Kalwada, Industrial Area RICO, Chomu Jaipur को रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 24–09–2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.25 10:56:02 IST
Reason: SelfAttested